# सराहनीय कार्य

## इटावा पुलिस

**प्रेस नोट- दिनांक 18.08.2024**

**जान से मारने की नीयत से युवक को चाकू मारकर घायल करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना सिविल पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

**घटना का संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 17.08.2024 को वादी जगदीश सिंह पुत्र मनोहर निवासी नगला जगे थाना सिविल लाइन जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 16.08.24 की रात्रि समय 08.30 बजे जब वादी और उसका पुत्र गोविन्द कुमार खाना खा रहे थे, तभी वादी के बडे पुत्र विनोद कुमार व उसका साथी छोटे पुत्र जगन्नाथ निवासी राहतपुरा कॉलोनी थाना सिविल लाइन इटावा आये और वादी के छोटे पुत्र गोविन्द के साथ मारपीट करने लगे तथा जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर घायल कर दिया।

सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 171/2024 धारा 115(2)/109 बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-**

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 18.08.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 171/24 से संबंधित अभियुक्त छोटे उर्फ सुभेन्द्र दीक्षित पुत्र जगन्नाथ दीक्षित पुराना आगरा रोड कांधनी रेलवे पुल के पास कही जाने की फिराक मे खडा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त छोटे उर्फ सुभेन्द्र दीक्षित पुत्र जगन्नाथ दीक्षित को आगरा रोड कांधनी रेलवे पुल के पास से समय 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया।**

**गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1. शुभेन्द्र दीक्षित उर्फ छोटे पुत्र जगन्नाथ दीक्षित निवासी राहतपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा **उम्र 30 वर्ष।**

**पंजीकृत अभियोग-**

**मु0अ0सं0 171/2024 धारा 115(2)/109 बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**

**पुलिस टीम-** निरी0 श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, उ0नि0 रविन्द्र सिंह, का0 कमरुद्दीन।